THE COURT

ORDER SHEET

II-155
C.J.

Of 20

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
29-04-2020	**माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय कार्यालय ज्ञापन क्यू 20 दिनांक 14.04.2020 के पालन में दिनांक 03.05.2020 तक अकार्य दिवस घोषित होने से रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान मेरे समक्ष पेश।** राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ.। अभियुक्त मुन्ना की ओर से श्री शादाब खान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार हेतु नियत है। आरक्षी केन्द्र नामली से अपराध कमांक 110/2020 अंतर्गत धारा 406, 34 भा.द.वि. की केस डायरी ई-मेल के माध्यम से पी.डी.एफ. फार्मेट में प्राप्त। अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उक्त अपराध धारा के तहत असत्य आधारों पर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है उसने कोई अपराध नहीं किया है। आरोपी प्रकरण में ट्रायल फेस करना चाहता है। आवेदन पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि आरोपी का अपराध आजन्म करावास या मृत्युदण्ड से दंडनीय नहीं है जिस कारण आरोपी जमानत का लाभ पाने के पात्र है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है। उभय पक्ष के तर्क श्रवण किये गये। केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त पर धारा 406, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध है। अपराध का अनुसंधान अपूर्ण है। अभियुक्त पर अधिरोपित अपराध अजमानतीय होकर गंभीर स्वरूप का अपराध है। अभियुक्त मूल निवासी बिहार राज्य का है यदि अभियुक्त को जमानत	

Scanned with CamScanner

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signa Partie Pleaders w necessary

का लाभ दिया गया तो उसके फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अभियुक्त को देशी शराब दिनांक 31.03.2020 को सुपुर्दगी में दी गई थी, परन्तु अभियुक्त द्वारा शासन की अनुमति लिये बिना माल की अफरा तफरी कर 139 पेटी शराब की अमानत में खयानत का गंभीर अपराध पंजीबद्ध है। ऐसी स्थिति में मामले की परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

प्रकरण पूर्ववत् अंतिम प्रतिवेदन हेतु दिनांक 13.05.2020 को पेश हो।

संचिता भदकारिया
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रतलाम म0प्र0

Scanned with CamScanner